न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
486 / 2014	15 / 10 / 2014	19.12.2025

सुरजमल पुत्र प्रभूलाल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.) मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधी

(1) राकेश पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(2) संजय पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(3) दिलीप पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(4) ममता पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(5) रीना पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(6) द्वारकया बाई पत्नि स्व. सुरजमल जातिनाई निवासी पीपल्दा कलाँ तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1–उमेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
2–निरंजन कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
3–निरज कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
4–प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
5– रजना पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
6–ननदकँवर बेवा मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा जिला कोटा
7– राज्य शासन जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख्यावदा तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 की खाता संख्या 521 में खसरा संख्या 761 रकबा 2.49 हैक्टर, खसरा संख्या 761 / 1325 रकबा 0.82 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.31 हैक्टर भुमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि कहाँ गया है। विवादित भूमि वादी एवम् प्रतिवादी क्रम 1–6 के पिता व पति स्व. श्री मोहनलाल के पिता श्री प्रभूलाल पुत्र शांतिलाल की गैर खातेदारी मे दर्ज थी। श्री प्रभुलाल की मृत्यु के उपरान्त विवादित भूमि वादी एवम् प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता एवम् पति स्व. श्री मोहनलाल वादी के आपस मे सगे भाई होने के कारण दर्ज हो गई। स्व. श्री मोहनलाल अपने बाल्यकाल में ही अपने मामा स्व. श्री कान्हा (काना) उर्फ कन्हैयालाल जाति नाई निवासी करवाड के यहाँ दत्तक चले छाडे। स्व. श्री कान्हा (काना) की मृत्यु के उपरान्त स्व. श्री कान्हा (काना) की सम्पत्तियों का विरासतन बतौर गोदपुत्र मालिक, काबिज, खातेदार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो गया। स्व. श्री मोहनलाल के मृत्युपरान्त प्रतिवादी क्रम 16 स्व. श्री कान्हा (काना) की सम्पत्तियों के स्वामी हुऐ। स्व. श्री मोहनलाल अपने बाल्यकाल में ही अपने मामा स्व. श्री कान्हा (काना) उर्फ कन्हैयालाल जाति जाई निवासी करवाड के वहाँ दत्तक चले जाने से वह विवादित भूमि से निरर्शित हो गया। वादी विवादित भुमि पर स्व. श्री मोहनलाल के बाल्यकाल मे ही अपने मामा स्व. श्री कान्हा (काजा) उर्फ कन्हैयालाल जाति जाई जिवासी करवाड के यहाँ दत्तक चले जाने के समय से ही शांतिपुर्वक तन्हा काबिज काश्त है। स्व. श्री मोहनलाल द्वारा अपने जीवन काल में विवादित भूमि बाबत वादी के अधिकारों के प्रतिकूल कोई हकरसी, वाद–विवाद आदि नही किया गया और न ही स्व. श्री मोहनलाल का विवादित भूमि पर कोई कब्जा रहा है। किन्तु प्रतिवादी क्रम 1–6

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

राजस्व अभिलेखा में स्व. श्री मोहनलाल के नाम के अंकन का अनुचित लाभ उठाकर जबरन ताकत के बल पर विवादित भुमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से वादी को परेशान करते रहते है तथा बार बार वादी के शांतिपुर्वक कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने का अवैध प्रयास करते है। जबकि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नही है। स्व. श्री मोहनलाल के अन्यत्र दत्तक चले जाने से उनके तमाम अधिकार वादी मे न्यस्त हो गये। विधितः विवादित भूमि का वादी एकमात्र खातेदार कृषक हो गया है एवम् स्व. श्री मोहनलाल का नाम विलोपित होने योग्य है। जिसकी घोषणा करवाने का वादी विधिक अधिकारी है। तदर्थ वाद श्रीमान कर सेवा में प्रस्तुत है। दिनाँक 25/09/2014 को प्रतिवादीगण जबरन वादी के कब्जे की भुमि मे कब्जा करने की नियत से घुसने का प्रयास करने लगे तथा धमकी देने लगे कि इस जमीन पर तो हम कब्जा करके रहेगें, इसलिऐ वादी के लिऐ माननीय न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनॉक 25/07/2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भुमि में जबरन कब्जा करने की नियत से घुसने तथा कब्जा करने की धमकी देने पर अनातार उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी क्रम 7 तहसीलदार पीपल्दा भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित किए गए है। जिनसे कोई प्रभावी अनुतोष नहीं चाहा लबा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवम् प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज) की भूमि खसरा संख्या 761 रकबा 2.49 हेक्टर, खसरा संख्या 761/1325 रकबा 0.82 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.31 हैक्टर भूमि का वादी को तन्हा गैर खातेदार घोषित किया जाये। उक्त भूमि पर से स्व. श्री मोहनलाल का नाम विलोपित किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की गैर खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की भुमि खसरा संख्या 761 रकबा 2.49 हैक्टर, खसरा संख्या 761/1325 रकबा 0.82 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.31 हैक्टर भुमि में वादी के शांतिपुर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नही करें, ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। राजस्व अभिलेख के अंकन का अनुचित लाभ उठाकर यदि प्रतिवादीगण विवादित भूमि को अन्य संक्रामित कर दे तो उस अन्य संक्रामण को वादी के हितो के विरूद्ध शून्य घोषित किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 सूरजमल, पी0डब्ल्यू0 2 अब्दूल हमीद, पी0डब्ल्यू0 2 मंजू पेश किए। वादी ने वाद के समर्थन में ग्राम ख्यावदा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 प्रदर्श पी–1, नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 17.12.1999 ग्राम करवाड प्रदर्श पी–2, ग्राम करवाड की नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श पी–3, जमाबन्दी सम्वत 2054–57 प्रदर्श पी–4, पेश किए। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। वादी के पिता प्रभूलाल पुत्र शांतिलाल से विरासतन गैर खातेदारी वादी व प्रतिवादी 1 ता 6 के पिता मोहनलाल को प्राप्त हुई। वादी अधिवक्ता मोहनलाल के कान्हा के गोद जाने के आधार पर मोहनलाल का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित करवाकर ग्राम ख्यावदा तह0 पीपल्दा ख0नं0 761 रकबा 2.49है0, ख0नं0 761/1325 रकबा 0.82है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.31है0 पर स्वयं तन्हा गैर खातेदार दर्ज होना चाहता है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में केवल नामान्तरण प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया है जो जमाबन्दी में अंकित है। वादी द्वारा प्रतिवादी के पिता मोहनलाल के कान्हा के गोद लिए जाने के संबंध में कोई निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। नामान्तरण की कार्यवाही केवल एक Fiscal proceeding है। जिसके आधार पर काश्तकारों को लगान चुकाने के लिए इनऐबल किया जा सके। इससे अधिकारों, खातेदारी या गैर खातेदारी का सृजन नहीं होता है न ही किसी का हक या

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

स्वामित्व का। आरआरटी 2015 (2) पेज नं0 1109 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मुकेश बनाम पान्नों में दिया गया निर्णय उद्धरण योग्य है। इससे न्यायालय में नामान्तरण के आधार पर व्यक्ति को गोद पुत्र नहीं माना तथा कहा की नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है। गोद के तथ्य को साक्ष्य से साबित करना आवश्यक है। इसके लिए गोद लेने तथा गोद देने वाले संबंधी साक्ष्य जरूरी है। हस्तगत प्रकरण में भी नजीर आंशिक रूप से चस्पा होती है। नामान्तरण प्रविष्टियों के आधार पर मोहनलाल को दत्तक पुत्र स्वीकार करना ना तो विधिक रूप से उचित है, बल्कि क्षेत्राधिकार से परे है। किसी पंजीकृत दस्तावेज के बिना गोद पुत्र मानकर मोहनलाल का नाम विलोपित करना राजस्व न्यायालय के कार्य क्षेत्र की परिधि से बाहर होगा। अतः वादी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों को साबित करने में असमर्थ रहा। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है। वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फागी (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
486 / 2014	15 / 10 / 2014	19.12.2025

सुरजमल पुत्र प्रभूलाल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.) मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधी

(1) राकेश पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(2) संजय पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(3) दिलीप पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(4) ममता पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(5) रीना पुत्र सुरजमल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ
(6) द्वारकया बाई पत्नि स्व. सुरजमल जातिनाई निवासी पीपल्दा कलाँ तह० पीपल्दा

वादीगण

बनाम

1–उमेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
2–निरंजन कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
3–निरज कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
4–प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
5– रजना पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा
6–ननदकँवर बेवा मोहनलाल जाति नाई निवासी करवाड तह. पीपल्दा जिला कोटा
7– राज्य शासन जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों को साबित करने में असमर्थ रहा। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है। वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक ..... को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)